निरीक्षण, तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी

1. प्रत्येक कर प्रशासन में निरीक्षण, तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी का प्रावधान वास्तविक कर प्रदाता के हितों की रक्षा करने (क्योंकि कर अपवंचक, कर अपवंचन करके वास्तविक कर प्रदाता की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त कर लेते हैं) और कर अपवंचन के लिए निवारक के रूप में काम करने के लिए किया जाता है। ये प्रावधान सरकार के विधि सम्मत देयों की रक्षा करने के लिए भी जरूरी हैं। इस प्रकार, ये प्रावधान निवारक के रूप में कार्य करते हैं और और अपवंचन की रोकथाम करके वास्तविक कर प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान करते हैं।

2. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि निरीक्षण तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी के विकल्पों का प्रयोग केवल आपवादिक परिस्थितियों में और सरकारी राजस्व की रक्षा करने के लिए अंतिम कार्रवाई के रूप में ही किया जाता है। अतएव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रावधानों का प्रयोग समुचित एवं प्रभावकारी ढंग से हो और इनसे करदाताओं के अधिकार भी सुरक्षित रहें, यह निर्धारित किया गया है कि निरीक्षण, तलाशी अथवा जब्ती का कार्य केवल तभी किया जा सकता है जब संयुक्त आयुक्त, अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हों कि ऐसी आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। ऐसे मामलों में संयुक्त आयुक्त किसी अन्य अधिकारी को लिखित रूप में यह निरीक्षण, तलाशी और जब्ती करने को प्राधिकृत करेगा। तथापि, गिरफ्तारी के मामले में यह कार्य केवल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इस प्रयोजनार्थ विहित अपराधों का दोषी हो और इसमें अंतर्ग्रस्त कर की राशि विहित सीमा से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी केवल आयुक्त के प्राधिकार से ही की जा सकती है।

हमारा अनुसरण करें

@CBEC_India
@askGST_GoI

cbecindia

जी एस टी

निरीक्षण, तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी

1 राष्ट्र कर बाजार

जीएसटी

सत्यमेव जयते

जी एस टी

माल और सेवा कर

निरीक्षण, तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in

3. वह परिस्थितियां जिनमें उपर्युक्त कार्रवाई करना अधिपत्रित हो जाता है, निम्नलिखित हैं:

(i) निरीक्षण

"निरीक्षण" तलाशी की तुलना में अधिक नरम प्रावधान है जो अधिकारियों को व्यवसाय के अथवा वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यक्ति के अथवा भांडागार अथवा गोदाम के मालिक अथवा प्रचालक के किसी स्थान तक पहुंचने के लिए सक्षम करता है। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई यह निरीक्षण सीजीएसटी/एसजीएसटी के किसी अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा लिखित प्राधिकार दिए जाने पर ही किया जा सकता है। संयुक्त आयुक्त अथवा उससे उच्चतर रैंक का अधिकारी यह प्राधिकार केवल तभी दे सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कि संबंधित व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई एक कृत्य किया है:

(क) वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा मौजूदा स्टॉक से संबंधित किसी लेनदेन को छुपाया है।

(ख) अधिक इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है।

(ग) कर अपवंचन करने के लिए अधिनियम अथवा नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया।

(घ) ऐसी वस्तुओं का परिवहन किया अथवा उसको अपने पास रखा जिन पर कर भुगतान से बचा गया अथवा स्टॉक अथवा लेखों में ऐसी हेराफेरी की जिससे कर अपवंचन हो सके।

यह निरीक्षण किसी ऐसे वाहन का भी किया जा सकता है जो विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मूल्य की खेप ले जा रहा हो। उस वाहन के प्रभारी व्यक्ति को सत्यापन के लिए दस्तावेज/डिवाइस प्रस्तुत करनी होगी और निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। यह मार्गस्थ निरीक्षण संयुक्त आयुक्त के प्राधिकार के बिना भी किया जा सकता है।

(ii) संचलन के दौरान निरीक्षण

(क) कोई प्रेषित माल जिसका मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक है उसको इस प्रेषित माल की आवाजाही के लिए विनिर्धारित दस्तावेजों/डिवाइस का सत्यापन करने के लिए किसी भी स्थान पर रोका जा सकता है।

(ख) परिवहन के दौरान यदि प्रेषित माल का सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वस्तुओं को बिना किसी विहित दस्तावेज के हटाया गया अथवा उसकी सप्लाई अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके की जा रही है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है अथवा उसकी जब्ती की जा सकती है और उस पर यथाविहित अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।

(ग) व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दिक्कतों को कम करने के लिए विधि में यह प्रावधान है कि परिवहन में सत्यापन के दौरान यदि प्रेषित माल को 30 मिनट से अधिक समय तक रोका जाता है तो ट्रांसपोर्टर इस पोर्टल पर अपना विवरण भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रेषित माल की आवाजाही के दौरान भी सत्यापन डिजिटल इंटरफेस के जरिए भी किया जाएगा और इसलिए भौतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि 30 मिनट से अधिक विलंब होने की स्थिति में ट्रांसपोर्टर उसका विवरण पोर्टल पर फीड कर सकता है।

(iii) तलाशी एवं जब्ती

तलाशी एवं जब्ती के प्रावधान भी पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करते है और जीएसटी विधि यह अनुबंधित करता है कि व्यवसाय के किसी स्थान की तलाशी संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने पर केवल तभी की जा सकती है जब उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कि संबंधित व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई एक कृत्य किया है:

(क) यदि जब्ती करने योग्य कोई वस्तु अथवा किसी कार्यविधि से संबंधित अथवा उसके लिए उपयोगी कोई दस्तावेज/बही/रिकार्ड/वस्तु को किसी स्थान पर छुपाया गया है तो उन सभी स्थानों की तलाशी ली जा सकती है।

(ख) ऐसी सभी वस्तुएं/दस्तावेज/बहियां/रिकार्ड/वस्तुएं जब्त की जा सकती हैं, तथापि यदि इनमें से कोई भी वस्तु जब्त करना व्यवहार्य न हो तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है। जिस व्यक्ति से इन वस्तुओं की जब्ती किया गया है, वो उनकी प्रतियां/जब्त अभिलेख का सार लेने का हकदार होगा।

(ग) जब्त किए गए दस्तावेजों/बहियों/वस्तुओं को केवल उतने समय तक प्रतिधारित किया जा सकता है जितने समय तक उनकी परीक्षा/जांच/कार्यविधियों के लिए आवश्यक हो और यदि उस मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने से 30 दिनों के भीतर वापस करना होगा।

(घ) जब्त वस्तुओं को अनंतिम रूप से बांड निष्पादित करने और प्रतिभूति देने अथवा अनुप्रयोज्य कर ब्याज, अर्थदंड का भुगतान करने पर रिलीज किया जाएगा।

(ङ) वस्तुओं को जब्त किए जाने की स्थिति में छह माह के भीतर एक नोटिस जारी किया जाएगा, यदि यह नोटिस छह माह की अवधि के भीतर जारी किया जाता है तो उन सभी वस्तुओं को वापस कर दिया जाएगा। तथापि, छह माह की इस अवधि को पर्याप्त कारण होने की स्थिति में आयुक्त द्वारा अन्य छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(च) जब्तकर्ता अधिकारी द्वारा जब्त वस्तुओं/दस्तावेजों/अभिलेखों की एक मालसूची निकालना अपेक्षित है और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे वे वस्तुएं जब्त की गई हैं।

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि तलाशी एवं जब्ती के प्रावधानों का क्रियान्वयन समुचित एवं पारदर्शी ढंग से किया जा रह है, अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि तलाशी एवं जब्ती का कार्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि तलाशी या जब्ती का कोई भी कार्य दो या अधिक गवाहों की मौजूदगी में किया जाएगा, संपूर्ण कार्रवाई का रिकार्ड बनाया जाएगा और उसे तुरंत आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा।

(iv) गिरफ्तारी

कराधान के प्रशासन में गिरफ्तारी का प्रावधान कुछ बेईमान कर चोरों द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों से निपटने के लिए किया गया है। कुछेक को ये प्रावधान काफी कठोर लग सकते हैं परंतु कार्यकुशल कर प्रशासन हेतु तथा एक निवारक के रूप में कार्य करने एवं अनुशासन की भावना जाग्रत रखने के लिए ये नितांत आवश्यक हैं। जीएसटी विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी के प्रावधानों में पर्याप्त अंत:निर्मित रक्षोपाय यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इनका प्रयोग केवल आयुक्त के प्राधिकार के अंतर्गत ही किया जाए। इसके अतिरिक्त, जीएसटी विधि में यह भी विनिर्धारित है कि केवल उन मामलों में ही गिरफ्तारी की जा सकती है जिनमें व्यक्ति उन अपराधों में संलिप्त पाया जाता है जिनको गिरफ्तारी के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है और इन अपराधों में अंतर्ग्रस्त कर राशि विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हे। इन प्रावधानों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

(क) गिरफ्तारी के प्रावधानों का प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में और आयुक्त के पूर्व प्राधिकार से ही किया जाता है।

(ख) विधि में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कठोर मानदंड हैं और उसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब इस प्रयोजनार्थ बनाई गई विधि के अंतर्गत विनिर्धारित मानदंड पूरे हो रहे हों अर्थात यदि उसने विनिर्दिष्ट अपराध (न कि कोई भी अपराध) किए हों और कर की राशि 200 लाख रुपए से अधिक हो। तथापि, यदि किसी दोष के लिए पहले दोष सिद्ध पाए जाने के पश्चात वही अपराध दुबारा किया जाता है अर्थात अपराधी विनिर्दिष्ट अपराधों की पुनरुवृत्ति करता है तो उस पर कर राशि की यह सीमा लागू नहीं होगी और इस मामले में अंतर्ग्रस्त कर राशि पर ध्यान दिए बिना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, हालांकि किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है जिसमें 200 लाख रुपए से अधिक की कर राशि अंतर्ग्रस्त हो तथापि, जहां अंतर्ग्रस्त कर राशि 500 लाख रुपए से कम है वहां इन अपराधों को गैर-संज्ञेय एवं जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इन सब गिरफ्तार व्यक्ति को उप/सहायक आयुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। परंतु यदि गिरफ्तारी उन विनिर्दिष्ट अपराधों के मामलों में होती है जहां अंतर्ग्रस्त कर राशि 500 लाख रुपए से अधिक है वहां इस अपराध को संक्षेय एवं गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इन मामलों में जमानत देने पर विचार केवल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता है।